केवल विभागीय प्रयोगार्थ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

प्रवर्तन–मैनुअल

(वि0अनु0शा0 एवं सचलदल)

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

प्राक्कथन

दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद अब तक उत्तर प्रदेश का प्रवर्तन मैनुअल ही उत्तराखण्ड में प्रवृत्त रहा है। राज्य में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को प्रवृत्त "उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005" के लागू होने तथा राज्य की सीमाओं पर स्थित जाँच चौकियों की समाप्ति के बाद दिनांक 01 मार्च, 2013 से सचलदल इकाईयों की नई व्यवस्था अस्तित्व में आने के फलस्वरूप प्रवर्तन इकाईयों की कार्य प्रणाली में सुधार, सुगमता, पारदर्शिता एवं वर्तमान परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए प्रवर्तन–मैनुअल की उपयोगिता आवश्यकीय है।

वाणिज्य कर विभाग राज्य सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है, तथा राज्य सरकार के राजस्व में लगभग 60 प्रतिशत योगदान वाणिज्य कर विभाग का है। किसी भी कर व्यवस्था के सफलतापूर्वक संचालन के लिए करापवंचक तत्वों पर रोक लगायां जाना अत्यन्त आवश्यक है। करापवंचन की रोकथाम हेतु वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन इकाईयों का गठन किया गया है जिन्हें उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–42 से धारा–50 तक तथा नियम–26 से नियम–33 तक में प्राविधानित किया गया है। प्रवर्तन इकाईयों में विशेष अनुसंधान शाखा एवं सचलदल से सम्बन्धित इकाईयाँ हैं। जाँच चौकियों की समाप्ति के उपरान्त दिनांक 01 मार्च, 2013 से सचलदल इकाईयों के अस्तित्व में आने से इन प्रवर्तन इकाईयों का दायित्व और अधिक गुरूत्तर हो जाता है। प्रवर्तन इकाईयों द्वारा किये जाने वाले कार्यों, उनके दायित्वों एवं इसकी प्रक्रिया को निर्धारित एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से प्रवर्तन–मैनुअल की संरचना की गयी है। यद्यपि इसे अद्यावधिक करने का पूर्ण प्रयास किया गया है तथापि इसे और अधिक उपयोगी बनाने हेतु सुझावों का स्वागत है। यदि पूर्व में जारी किसी परिपत्र द्वारा दिये गये निर्देश इस मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के विरोधाभाषी हैं तो मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया एवं व्यवस्था प्रभावी मानी जायेगी। इस मैनुअल के प्रभावी होने से व्यापारी वर्ग में दुष्प्रचारित शंकायें जैसे कि प्रवर्तन के नाम पर उत्पीड़न आदि निर्मूल सिद्ध होगी।

इस मैनुअल में वि0अनु0शा0 व सचलदल इकाईयों के दिन–प्रतिदिन के कार्यों का मार्गनिर्देशन/नियंत्रण तथा क्रियान्वयन हेतु इस प्रकार की कार्यप्रणाली निर्धारित करने का प्रयास किया गया है कि जहां एक ओर ईमानदार व्यापारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, वहीं करापवंचक तत्व जिनके कारण राजस्व की चोरी हो रही है तथा ईमानदार व्यापारियों को व्यापार करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, पर विभाग द्वारा प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

इस मैनुअल को तैयार करने में श्री आई0एस0 बृजवाल, एडीशनल कमिश्नर(प्रवर्तन), श्री पीयूष कुमार, एडीशनल कमिश्नर(विधि), श्री बी0बी0 मठपाल, एडीशनल कमिश्नर(टैक्स–ऑडिट), श्री एन0सी0जोशी, ज्वाइन्ट कमिश्नर, श्री बी0एस0नगन्याल, ज्वाइन्ट कमिश्नर, डॉ0 सुनीता पाण्डे, डिप्टी कमिश्नर, श्रीमती अंजली गुसांई, असिस्टेन्ट कमिश्नर, एवं अन्य जिन वाणिज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अथक प्रयास कर योगदान दिया है वे बधाई के पात्र हैं। मैं उनके इस कार्य की सराहना करता हूँ।

यह मैनुअल तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा। इसकी प्रति वाणिज्य कर विभाग की वैबसाइट www.comtax.uk.gov.in पर "वाणिज्य कर" राजस्व अर्जन में लगे सभी अधिकारियों के सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध होगी।

मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि यह मैनुअल विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा टैक्स–ऑडिट की टीम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध होगा।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।